28/6

30-7

120

A-8-II/12
आदेश 27-6-13 निगरानी

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प भोपाल

निग - 2659 - I/13 अपील क्र. 18/II/2013

जमना प्रसाद S/o हरप्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम - मंगरमौली तह० सिलवानी जिला - रायसेन (म०प्र०) ...... आवेदक/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

डोमल सिंह, आ० तुलसीराम निवासी ग्राम - मंगरमौली तह० सिलवानी जिला - रायसेन (म०प्र०) ...... अनावेदक

श्री आर० के० नेमा अभि० द्वारा भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 28/6/13

आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 51, सहपठित धारा 32 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में आवेदक निम्न प्राथी है:-

आर. के. नेमा एडवोकेट (सिलवानी)

01. यह कि, आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा माननीय आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल के राजस्व प्रकरण क्र. 23/अपील/2011-12 डोमल सिंह विरूद्ध जमना प्रसाद में पारित आदेश दिनांक 26.11.2011 से परिवेदित होकर ठोस आधार पर अपील प्रस्तुत की है, जिससे माननीय महोदय द्वारा ग्राहता पर इस आधार पर दिनांक 27.06.2013 को निरस्त की है, जो अपीलार्थी द्वारा धारा 44 (3) में प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev. 2659- I / 13 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–12–2016	यह प्रकरण वर्ष 2013 से लंबित है । दिनांक 28–6–2013 को श्री आर0के0 नेमा, अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । उसके पश्चात उनके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण कराये जाने का प्रयास नहीं किया गया है । पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारों के अवलोकन से ऐसा कोई आधार परिलक्षित नहीं होता है, जो कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में उल्लिखित आधारों में से कोई आधार हो । अतः प्रथम दृष्टया आवेदक की ओर से प्रकरण में रूचि नहीं लेने एवं आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	